

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :-60/2023

GCMS No. 2023/204

उनवान - बिजेन्द्र उर्फ विजय सिंह

ब-ना-म

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

अधिवक्ता प्रार्थी

:- श्री नागरमल अवाना

आदेश

निर्णय दिनांक ...09.09.2025.....

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आयकर विभाग पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्थानान्तरण लेख प्रमाण-पत्र तथा तहसीलदार, खेतड़ी के पत्र क्रमांक: भू.अ./2024/4018 दिनांक 12.09.2024 की रिपोर्ट में अंकित स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामकुमारपुरा पटवार मण्डल रामकुमारपुर की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 228 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रामकुमारपुरा	जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या सं. 228 खसरा किता 12 कुल रकबा 6.42 है.	विजयसिंह पुत्र सरदारा राम	बिजेन्द्र उर्फ विजयसिंह पुत्र सरदारा राम



(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं
दिनांक :- ...09.09.2025...

क्रमांक: राजस्व / 2025 / 273-74
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बिजेन्द्र उर्फ विजयसिंह पुत्र सरदारा राम निवासी रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

